

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 401/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.10.2026

- थाना कप्तानगंज पुलिस की मुठभेड़ में 02 अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी घायल/गिरफ्तार, तीन थानों से चोरी की कुल 06 घटनाओं का सफल अनावरण।
- पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाले दोनों अभियुक्तों के बाएं पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, सोने-चांदी के आभूषण (कीमत लगभग 06 लाख रूपयें), ₹7,500/- नकद, मोबाइल, एलसीडी टीवी एवं चोरी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर जनपदों में चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कई अभियोग पंजीकृत।

पूर्व की घटना का विवरण-

- ➡ □ दिनांक 07.10.2026 को वादी प्रदीप मोदनवाल पुत्र बसन्त मोदनवाल निवासी ग्राम फिरतूपुर (सरवनपुर एकडंगी), थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके मकान के चैनल एवं शटर का ताला तोड़कर घर के अंदर से ₹73,000 नकद एवं आभूषण चोरी कर लिए हैं। इस संबंध में मु0अ0सं0 306/2026 धारा 331(5), 305(क), बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➡ □ दिनांक 27.08.2026 को वादी अनिल भरत लाल सोनी पुत्र भरत लाल सोनी निवासी ग्राम करेन्हुआ, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर आभूषण एवं नकदी चोरी कर ली है। इस संबंध में मु0अ0सं0 220/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➡ □ दिनांक 15.08.2026 को वादी प्रियांशु यादव पुत्र शिशुपाल यादव निवासी ग्राम महरौली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर आभूषण एवं नकदी चोरी कर ली है। इस संबंध में मु0अ0सं0 205/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➡ □ दिनांक 30.09.2026 को वादी वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 हिरामन निवासी ग्राम आखीपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर आभूषण एवं कपड़े चोरी कर लिए हैं। इस संबंध में मु0अ0सं0 406/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➡ □ दिनांक 22.08.2026 को वादी अमरदीप शर्मा पुत्र स्व० रामानन्द शर्मा निवासी ग्राम बलुआ, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर ₹2,00,000 नकद एवं आभूषण चोरी कर लिए हैं। इस संबंध में मु०अ०सं० 358/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➡ □ दिनांक 15.07.2026 को वादी आदित्य सिंह पुत्र दुर्गविजय सिंह निवासी ग्राम परनकुंडा कैता, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके मकान के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। इस संबंध में मु०अ०सं० 308/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा शांति अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18/19.10.2026 की रात्रि थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ऑटो रिक्शा से बंद मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शांति अपराधी कोयलसा-देवरपुर मार्ग से आने वाले हैं।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम जफरामऊ स्थित रानीपुर तिराहे के पास संदिग्ध ऑटो रिक्शा को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दिनांक 19.10.2026 को समय लगभग 01:10 बजे गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्तों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढ़वा पुत्र स्व० संतराज, निवासी हिरापट्टी (ब्रह्मस्थान), थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष।
2. दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ पुत्र स्व० श्यामप्यारे गौड़, निवासी कोइराना (ब्रह्मस्थान), थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अवैध तमंचे .315 बोरा
2. 02 जिंदा कारतूस .315 बोरा
3. 04 खोखा कारतूस .315 बोरा
4. सोने की 02 अंगूठियां।
5. सोने के 02 जोड़ी बड़े झुमके।
6. सोने का 01 मंगलसूत्र मय पेंडेंट।
7. सोने की 03 चेना।

8. सोने का 01 मांग टीका।
9. सोने की 04 छोटी नथा।
10. चांदी की 07 जोड़ी पायल।
11. चांदी की 06 जोड़ी बिछिया।
12. चांदी की 01 अंगूठी।
13. ₹7,500/- नकद।
14. 01 मोबाइल फोन।
15. 01 एलसीडी टीवी।
16. चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा संख्या UP50FT2661।
17. 01 स्टील का बॉक्स, जिसमें दिलीप गुप्ता के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी।
18. दिव्यांशु मोदनवाल एवं दिव्या मोदनवाल के नाम के 02 स्कूल पहचान पत्र।
19. 01 रिमोट चाबी।
20. ₹100/- का 01 जाली नोट।

पूछताछ/अपराध का विवरण-

प्रारंभिक पूछताछ में घायल अभियुक्तों ने बताया कि वे ऑटो रिक्शा से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे तथा रात्रि के समय मौका देखकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के दौरान विरोध या पकड़े जाने की स्थिति में लोगों को डराने-धमकाने के लिए अपने पास अवैध असलहे रखते थे। चोरी किए गए आभूषणों को दूर-दराज के फेरी लगाने वाले व्यक्तियों को बेचकर प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने खर्चों, परिवार एवं मुकदमों में करते थे।

अभियुक्तों द्वारा थाना कप्तानगंज क्षेत्र के फिरतूपुर, थाना कंधरापुर क्षेत्र के करेनहुआ एवं आदिपुर भनवथ तथा थाना जीयनपुर क्षेत्र के अंखीपुर, बलुआ एवं परनकुंडा कैता सहित अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाएं करना बताया गया। बरामद आभूषणों की संबंधित पीड़ितों/वादियों द्वारा पहचान किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। अन्य घटनाओं एवं बरामद सामान के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग एवं विधिक कार्यवाही-

थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 331(5), 305(a), 317(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम पर फायरिंग एवं अवैध असलहों की बरामदगी के संबंध में धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस तथा धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढ़वा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 95/11, धारा 379 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 494/11, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 166/12, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 244/12, धारा 307 भादवि, थाना तहबरपुर, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 245/12, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तहबरपुर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 480/12, धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 893/12, धारा 379 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

8. मु0अ0सं0 346/13, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना सिधारी, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 714/13, धारा 110जी दं0प्र0सं0, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 398/15, धारा 380/411 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 172/19, धारा 380/411/457 भादवि, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 149/20, धारा 34/380/411/457 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 246/20, धारा 34/380/411/457 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 415/20, धारा 380/411 भादवि, थाना दोहरीघाट, मऊ।
15. मु0अ0सं0 464/20, धारा 380/457 भादवि, थाना दोहरीघाट, मऊ।
16. मु0अ0सं0 19/21, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना रौनापार, आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 04/22, धारा 147/148/149/307/382/411/414/420/467/468/471 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0 05/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0 32/23, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।

अभियुक्त दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 174/15, धारा 380/411 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 415/20, धारा 380/411 भादवि, थाना दोहरीघाट, मऊ।
3. मु0अ0सं0 464/20, धारा 380/457 भादवि, थाना दोहरीघाट, मऊ।
4. मु0अ0सं0 149/20, धारा 34/380/411/457 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 246/20, धारा 34/380/411/457 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 19/21, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना रौनापार, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 04/22, धारा 147/148/149/307/382/411/414/420/467/468/471 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 271/24, धारा 310(2)/317(3) बीएनएस, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर।
9. मु0अ0सं0 274/24, धारा 238/305/317(2)/317(4)/324(4)/331(6) बीएनएस, थाना कोपागंज, मऊ।
10. मु0अ0सं0 300/24, धारा 109 बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोपागंज, मऊ।
11. मु0अ0सं0 544/24, धारा 309(4)/317(2)/324(4)/333/351(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 554/24, धारा 309(6)/317(2)/333/351(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 557/24, धारा 109/3(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उक्त कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, थाना कप्तानगंज, उ0नि0 प्रिंस मिश्रा, उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, वरिष्ठ उ0नि0 गंगाराम बिन्द, उ0नि0 अमन तिवारी, हे0का0 धर्मेन्द्र जायसवाल, का0 रवि कुमार गुप्ता, म0का0 आरती पासवान, चालक का0 कमल कुमार, का0 सुधांशु सिंह, का0 बृजेश गौड़, का0 अप्पू प्रसाद, का0 रंजीत कुमार साहू एवं का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ तथा विशेष टीम/चोरी अनावरण के प्रभारी उपनिरीक्षक श्री शशिकांत (PNO-932240055), मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार यादव (PNO-112693956), आरक्षी विशाल मल्ल (PNO-152381297), आरक्षी बसंत लाल (PNO-162612976) एवं आरक्षी चालक विकास ठाकुर (PNO-190650447) की प्रमुख भूमिका रही।

